न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–413/2026
उत्पन्न मधेपुरा (भर्राही) थाना काण्ड सं0–501/23

1. नितीश कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष पिता–गजेन्द्र यादव
साकिन–मदनपुर, गरीबटोला, वार्ड नं0–08, थाना व जिला–मधेपुरा
आवेदक/अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

जमानत आदेश

08–07–2026

दिनांक–11.05.2026 से काराधीन अभियुक्त नितीश कुमार का नियमित जमानत आवेदन जो मधेपुरा (भार्राही ओ0पी0) थाना काण्ड सं0–501/23 के अन्तर्गत धारा–302, 120बी भा0द0वि0 से संबंधित है, आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकांत झा द्वारा प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई आपराध कारित नही किया जैसा प्राथमिकी मे लगाया गया है। आवेदक को गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फँसाया गया है। आवेदक को घटना में संलिप्तता होने की शंका पर प्राथमिकी नामजद किया है जबकि उसके विरूद्व कोई परिस्थितिजन्य अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक की मृत्तक से कभी कोई दुश्मनी भी नहीं रही है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पारा–2 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम से यह स्पष्ट है कि मृत्तक की मृत्यु मोटरसाईकिल दुघ र्टिना से हुई है परंतु अनुसंधानकर्ता ने सूचिका एवं ग्रामीणों के प्रभाव में आकर गलत अनुसंधान किया है। पु0 अधी0 तथा अनु0पु0अधि0 के पर्यवेक्षण जो पारा–34 एवं 50 में कमशः यह कांड धारा–279, 304ए भा0द0वि0 कें अंतर्गत अज्ञात ड्राइवर के विरूद्व सत्य पाया है। पारा–42 में मृत्तक की माँ ने अपने बयान में बताया है कि आवेदक तथा मृत्तक के बीच कोई भूमि विवाद नहीं था। कांड दैनिकी के पारा–46 एवं 47 में सी0डी0आर0 है जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदक की न तो मृत्तक से फोन पर कोई बातचीत हुई है और न ही दोनो का टावर लोकेशन एक जगह पाया गया। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के प्रतिवेदन–4 में आवेदक द्वारा हत्या कारित करने का कोई साक्ष्य नही पाया गया तथा यह कांड धारा–279, 304ए भा0द0वि0 के अंतर्गत अज्ञात के विरूद्व सत्य पाया गया, तत्पश्चात् एफएसएल रिपोर्ट तथा पु0 अधी0 मधेपुरा द्वारा अज्ञात के विरूद्व सत्य मानकर धारा–302, 120बी भा0द0वि0 के अंतर्गत अनुसंधान किया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जो कांड दैनिकी के पारा–141 से स्पष्ट है। आवेदक लगातार दिनांक 11.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के फरार होने अथवा साक्ष्य प्रभावित करने की संभावना नही है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

Satish Kumar 08.07.26

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–413 / 2026
उत्पन्न मधेपुरा (भर्राही) थाना काण्ड सं0–501 / 23
–2–

लगातार
08–07–26

–अभियोजन का वाद यह है कि दिनांक 16.05.2023 को रात्री करीब 11:20 बजे सूचिका के पति जब घर नहीं आये तो अपने मो0 नं0–8709048266 से पति के मोबाइल नं0–9110033237 पर फोन किया तो वह बताए कि गजेन्द्र यादव, गरीब टोला के यहाँ है और आधा घंटा में घर चले आएंगे। इस बातचीत के दौरान सूचिका को शोरगुल का आवाज सुनाई दिया जिसमें उमेश साह और रोबिन साह का भी आवाज सुनाई दिया। सूचिका दिनभर के थकान के कारण सो गई। करीब 12:30 बजे सूचिका को जेठ अनिल यादव द्वारा सूचना दिया गया कि उनके पति गोढ़यारी के पास पड़ा हुआ है। सभी परिवार के लोग घटनास्थल NH107 गए, वर्षा क्लिनिक से दस कदम पश्चिम सूचिका के पति चंदन चांद को मृत्त पाया। उनका गाडी थोडा बगल पूर्णतः सुरक्षित गिरा हुआ था। सूचिका को पूर्ण विश्वास है कि गजेन्द्र यादव, अखिलेश कुमार, नीतिश कुमार, उमेश साह तथा कुछ अज्ञात लोगो ने साजिश के तहत बुलाकर उसके पति की हत्या कर दी है।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–302, 120बी भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्व अन्य सह अभियुक्तों एवं कुछ अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर सूचिका के पति की एक षड्यंत्र के तहत की हत्या करने का अभियोग है। सूचिका द्वारा मृत्तक व अभियुक्तों के बीच हुई फोन पर वार्त्ता की सी0डी0आर0 निकालकर अभियुक्तों के विरूद्व कार्रवाई की मांग की गई है।

Satish Kumar
08.07.26

कांड दैनिकी के पारा–06 में सूचिका का पुनः बयान अंकित है तथा पारा–07, 42, 43, 133 एवं 134 में साक्षियों का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया गया है तथा अनुसंधानोपरांत आवेदक के विरूद्व धारा–302, 120(B) भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है।

यद्यपि प्रारंभिक अनुसंधान में मृत्तक की मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना बताया गया जो कि कांड दैनिकी के पारा–02 (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) एवं पारा–30 (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) के अवलोकन से स्पष्ट है। परंतु बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मृत्तक की मोटरसाइकिल जिस अवस्था में पाई गई, सड़क दुर्घटना का मामला प्रतीत नहीं होता है। रिपोर्ट का मुख्य अंश इस प्रकार है –– After investigating the case and the taking all the possible situations we came to the conclusion on the *Prima facie* firmly that the cause of the death of the motorcyclist could not be the road accident.

तत्पश्चात् मृत्तक एवं अभियुक्तों के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का सी0डी0आर0 विश्लेषण करते हुए इसे हत्या का मामला मानते हुए धारा–302, 120(B) भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया।

–लगातार

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–413/2026
उत्पन्न मधेपुरा (भर्राही) थाना काण्ड सं0–501/23
–3–

लगातार
08–07–26

– आवेदक हलाँकि प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है परंतु प्राथमिकी के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। सूचिका ने अपने प्राथमिकी में कहा है कि जमीन मापी को लेकर घटना के दिन ही गजेन्द्र यादव से मृत्तक का विवाद हुआ था जिसको लेकर गजेन्द्र यादव ने फोन कर मृत्तक को अपने घर बुलाया था और बाद में उसकी लाश NH के किनारे मिली जहाँ मृत्तक की मोटरसाइकिल बगल में गिरी हुई थी। आवेदक गजेन्द्र यादव का पुत्र है परंतु प्राथमिकी में नाम होने के अलावा अन्य कोई भी ठोस साक्ष्य आवेदक के विरूद्व नहीं है जो इसकी संलिप्तता को इंगित करती हो। कांड दैनिकी के पारा–47 में सी0डी0आर0 विश्लेषण है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न तो आवेदक की मृत्तक से बातचीत फोन पर हुई है और न ही दोनो का टावर लोकेशन एक जगह पाया गया है। पारा–141 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक दिनांक 11.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के विरूद्व आरोप गठन भी हो चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000/–रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आवेदक विचारण के दौरान वाद में उचित पैरवी करते रहेंगे, आवेदक भविष्य में किसी अपराध में संलिप्त नहीं होंगे। दो जमानतदारो मे कम से कम आवेदक के एक करीबी रिश्तेदार होंगे।

लेखापित
Satish Kumar
08.07.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।